न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला –अजमेर(राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र 89 / 2021(2021 / 270)

1 किशनलाल पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण उर्फ लाभचन्द
2 रामेश्वर पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण उर्फ लाभचन्द
3 हेमराज पुत्र श्री जगदीश समस्त जाति खाती निवासीगण केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

—प्रार्थीगण

बनाम

1 धापू पुत्री श्री औंकार पत्नी श्री सुवालाल जाति खाती निवासी केकडी हाल निवासी गुलाब बाबा की धूणी, गुलाबपुरा तहसील गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा।
2 गोरती पुत्री औंकार पत्नी श्री लादू जी निवासी केकडी हाल निवासी चांवण्डिया वाया नागोला तहसील भिनाय जिला अजमेर।
3 बदाम पुत्री औंकार पत्नी शंकर लाल खाती निवासी केकडी हाल निवासी देवलियाकलां तहसील भिनाय जिला अजमेर।
4 अमरस्वरूप पुत्र औंकार खाती निवासी केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।
5 सीता देवी पुत्री श्री औंकार पत्नी श्री बजरंग लाल खाती निवासी केकडी हाल निवासी टोरडी तहसील मालपुरा जिला टोंक।
6 सांसर पुत्री औंकार पत्नी रामधन खाती निवासी केकडी हाल निवासी अरणीया तहसील सरवाड जिला अजमेर।
7. श्रीमान तहसीलदार साहब केकडी जिला अजमेर।
8 श्रीमान उपपंजीयक महोदय केकडी जिला अजमेर।

—अप्रार्थीगण

9 भूरी पुत्री जगदीश पत्नी श्री महावीर प्रसाद खाती निवासी केकडी हाल निवासी पीपलाज तहसील सावर जिला अजमेर।
10. श्रीमति शांति पत्नी श्री जगदीश खाती निवासी केकडी जिला अजमेर।

—प्रफोर्मा अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः—1. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा — वकील प्रार्थी
2. श्री मगन लाल लोधा —वकील अप्रार्थी

—:आदेश:—

दिनांक—23.5.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188,92ए,209 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया उसी के साथ यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक चाही गई। निम्न वर्णित आराजीयात वाके ग्राम केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर का विवरण निम्न प्रकार है।

खाता संख्या (नया–पुराना)	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
2812–2483	3076	0.63(हैक्टर)	बारानी उत्तम

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.05.26 14:57:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

841 / 15	5028	02-02-10(बीघा)	बारानी 1
	5029	01-16-00(बीघा)	बारानी 1

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है उपरोक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण एवं प्रफोर्मा अप्रार्थीगण 9 व 10 की एकमात्र खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजीयात है जिसमे प्रार्थीगण एवं प्रफोर्मा अप्रार्थीगण के अलावा अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 या अन्य किसी दीगर व्यक्ति का कोई हक व हिस्सा नहीं है। तथा न ही किसी प्रकार का कोई वास्ता एवं सरोकार है। तथा देवी पुत्र हणुता खाती निवासी केकडी लाऔलाद फौत हो जाने के कारण प्रार्थीगण एवं प्रफोर्मा अप्रार्थीगण संख्या 9 व 10 ही एकमात्र मालिक व जायदाद काबिज है जो काबिज जायदाद चलते आ रहे है। तथा खातेदार श्रीमति साहनी पत्नी लक्ष्मीनारायण उर्फ लछमन का स्वर्गवास को हो चुका है। उक्त वाद वर्णित आराजीयात को प्रार्थीगण एवं प्रफार्मा अप्रार्थीगण के क्रमशः पिता व दादाजी स्वर्गीय श्री लछमन उर्फ लक्ष्मीनारायण व देवी पुत्र हणुता खाती निवासी केकडी ने पूर्व ... श्री भवानी शंकर, गंगाशंकर पिसरान फून्दा लाल व श्रीकृष्ण वल्द पण्डित भैरूशंकरजी कौम ब्राहम्ण गुजराती साकिनान केकडी से दिनांक 15.01.1959 ईस्वी मिति पोष सुदी 6 सम्वत 2015, विक्रमी रोज बस्पतवार को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र खरीदकर कब्जा दखल प्राप्त किया था। एंव उक्त आराजी के विक्रेता यानि पूर्व खातेदारान व स्वामी का राजस्व रिकार्ड गिरदावरी मे भी अंकन है एंव उसके पश्चात प्रार्थीगण एवं प्रफोर्मा अप्रार्थीगण के क्रमशः स्वर्गीय पिता व दादा लछमन उर्फ लक्ष्मीनारायण एंव देवी पुत्र हणुता खाती का कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग मे चली आ रही है जिसका अंकन राजस्व रिकार्ड गिरदावरी मे भी है। उक्त आराजीयात पर खरीद दिनांक से ही यानि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अजमेर स्टेट मे पूर्ण रूपेण लागू हुआ तभी से प्रार्थीगण के क्रमशः स्वर्गीय पिता व दादा श्री लछमन उर्फ लक्ष्मीनारायण एंव देवी पुत्रान हणुता खाती निवासी केकडी काबिज काश्त चले आ रहे है एंव उनके जीवन काल व उनकी मृत्यु के पश्चात से ही प्रार्थीगण काबिज काश्त बिना किसी बाधा एव रूकावट के निर्बाध रूप से चले आ रहे है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात बाबत प्रार्थीगण के क्रमशः स्वर्गीय पिता व दादा स्वर्गीय श्री लछमन उर्फ लक्ष्मीनारायण व देवी पुत्रान हणुता खाती निवासी केकडी ने उक्त विक्रयपत्र के आधार पर जानकारी के अभाव एव अनपढ होने के कारण राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे नामान्तकरण दर्ज नहीं करवाया इसलिए उक्त वाद वर्णित आराजीयात मे अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 के स्वर्गीय पिता श्री ओंकार पुत्र रघूनाथ खाती निवासी केकडी का नाम अवैध व गैरकानूनी तरीके से राजस्व अधिकारियो व कर्मचारियो से मिलीभगती कर इन्द्राज करवा लिया एंव उसकी मृत्यु के पश्चात अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 ने अपने नाम का इन्द्राज करवा लिया तथा उसके पश्चात अप्रार्थीगण अवैध व गैरकानूनी तरीके से बिना किसी हक अधिकार के ही उक्त आराजीयात के आधे हिस्से का अपने नाम करवाये गये इन्द्राज के आधार पर प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त मे बाधा पहुंचाने एंव जबरन बेदखल करते हुए उक्त आराजीयात कों अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित करने पर आमादा हो रहे है। तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 दिनांक 20.06.2021 से ही उक्त आराजीयात को उनके नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे होने मात्र से ही बेचने तथा प्रार्थीगण को जबरन बेदखल करने की ऐलानियां धमकीयां दे रहे है। इसलिए उक्त वादपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। उक्त वर्णित आराजीयात को अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 जमीनो की कीमते बढ़ जाने से दलाल एंव अन्य व्यक्ति अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 के साथ मिलकर जबरन अवैध व गैरकानूनी तरीके से प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त मे बाधा पहुंचाने व बेदखल करने की दिनांक 20.06.2021 से ही धमकीयां दे रहे है, तथा साथ ही यह भी धमकीयां दे रहे है कि उक्त आराजीयात को अन्यत्र व्यक्ति को हस्तानान्तरित करेंगे। जबकि अप्रार्थीगण का उक्त आराजीयात मे किसी प्रकार का कोई हक व हिस्सा नहीं है तथा न ही हक व अधिकार है। क्योकि उक्त आराजीयात को प्रार्थीगण एंव प्रफोर्मा अप्रार्थीगण संख्या 9 व 10 के क्रमशः स्वर्गीय पिता व

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.05.26 14:57:40 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

दादा लाछमन उर्फ लक्ष्मीनारायण व देवी पुत्रान हणूता खाती निवासी केकड़ी ने पूर्व मालिक व खातेदारान से दिनांक 15.01.1959 को खरीदकर कब्जा दखल प्राप्त कर लिया था। तथा तभी से निर्बाध रूप से बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त वादवर्णित आराजीयात बाबत प्रार्थीगण एवं प्रफार्मा अप्रार्थीगण के क्रमशः स्वर्गीय पिता व दादा लाछमन उर्फ लक्ष्मीनारायण व देवी पुत्रान हणूता खाती निवासी केकड़ी ने अनपढ़ होने के कारण राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे अपने नाम इन्द्राज यानि नामान्तरकरण नहीं खुलवा सके एवं उक्त आराजीयात के राजस्व रिकार्ड मे अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 का नाम राजस्व रिकार्ड मे अवैध व गैरकानूनी तरीके से दर्ज करवा लेने के कारण प्रार्थीगण को बेदखल करते हुए अन्यत्र हस्तान्तरित करने पर आमादा होने के कारण अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 का नाम लापित किया जाकर उनके बजाय प्रार्थीगण एवं प्रफोर्मा अप्रार्थीगण को सम्पूर्ण आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर जमाबंदी मे इन्द्राज किये जाने हेतु घोषणा एंव स्थायी निषेधाज्ञा का उक्त वादपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। प्रार्थीगण उक्त खरीदशुदा आराजीयात पर दिनांक 15.01.1959 से ही यानि प्रार्थीगण के क्रमशः स्वर्गीय पिता व दादा के जीवन काल एंव उनकी मृत्यु के पश्चात लगातार बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज काश्त चले आ रहे है। तथा उक्त वादवर्णित आराजीयात बाबत प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे बहैसियत खातेदार काश्तकार दर्ज करवाया है। जाकर अमल दरामद करवाया जावे तथा खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। तथा अप्रार्थीगण संख्या 7 को आदेश दिया जावे कि उक्त वादवर्णित आराजीयात का राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 के नाम को लापित करते हुए प्रार्थीगण का नाम सम्पूर्ण आराजीयात खातेदार के रूप मे इन्द्राज किया जावे। तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पावंद किया जावे कि प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे ना ही जबरन बेदखल करे तथा न ही प्रार्थीगण के हक व हिस्से की एंव खातेदारी की आराजीयात को अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज होने मात्र से ही अन्यत्र विक्रय करने से भी रोका जाना न्यायोचित एंव आवश्यक है। अतः वादपत्र खातेदार काश्तकार की घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत करना लाजमी हुआ है। प्रार्थीगण को उक्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित नहीं किया जाता है तब तक प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त मे बाधा उत्पन्न नही करने एंव न ही उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न करने एंव खुर्दबुर्द नही करने बाबत अप्राथीगण 1 लगायत 1 को जारिणे अपायी जा रोका जाना न्यायोचित एं। आवश्यक है। अप्रीगण को जरिये अरणाची विधामा पावंद नहीं किया जाता है तो पाग को अपनीय माति हांगी जिसका मुद्रा मं मुल्यांकन किया जाना संभव नही है। अतः वाद पर्णित आराजी मे प्रार्थीगण को खातंदार काश्तकार घोषित किया जाकार अरथायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा प लाजमी हुआ है। प्रफोर्मा अप्रार्थीगण संख्या 9 व 10 सखातेदार होने के कारण तथा कोर्ट कार्यवाही में हिस्सा लेने में असमर्थ होने के कारण प्रफोर्मा अप्रार्थीगण के रूप मे पक्षकारान बनाया गया अप्रार्थीगण संख्या 7 लेण्डलार्ड होने से एंव अप्रार्थीगण संख्या 8 लोक सेवक होने के कारण तथा प्रकरण मे आवश्यक होने से फरीक मुकदमा बनाया गया है। प्रार्थीगण का प्राईमा फेसाई केस है और सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष मे है। यदि प्रार्थीगण के पक्ष मे व अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की गई तो प्रार्थीगण को अजहद व अपूर्तनीय क्षति होगी जिसका मुद्रा मे मुल्यांकन किया जाना संभव नही है। तथा बहुवाद कार्यवाहीयों मे उलझना पड़ेगा। अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि अप्रार्थीगण उनके हाली सिरी सगे संबंधी एजेन्ट मुख्तार आम व खास और अधिनस्थ कर्मचारी असायनीज को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पावंद किया जावे कि वादपत्र के पैरा संख्या 2 मे वर्णित आराजीयात के प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त मे किसी प्रकार की कोई बाधा नही पहुंचावे तथा न ही उक्त आराजी की प्रार्थीगण के हक व हिस्से की प्राकृतिक उपज नष्ट करे। न ही उक्त आराजी मे किसी प्रकार के गड्ढे इत्यादी कर नष्ट भ्रष्ट नही करे तथा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जावे कि उपरोक्त वर्णित आराजीयात को अन्यत्र हस्तानान्तरित नही करे तथा न ही अप्रार्थीगण संख्या 7 व 8 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.05.26 14:57:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

के जरिये अस्थाई निषधाज्ञा पाबंद किया जावे कि उक्त आराजीयात के हस्तानान्तरण संबंधी कोई भी दस्तावेज विक्रयपत्र इत्यादी प्रस्तुत करने पर पंजीबद्ध नही करे न ही किसी प्रकार का राजस्व रिकार्ड में रदोबदल करे। यानि हर प्रकार से मनमुह व बाज रखा जाने का निवेदन प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र लाजमी आया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीगण को अन्तरिम व्यादेश बावत सुना गया। प्रकरण मे कानूनी बिन्दू निहित होने से अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम व्यादेश से पाबन्द किया गया। तथा अप्रार्थीगण को जवाब हेतु नोटिस जारी किये। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 9 व 10 की ओर से जवाब पैश किया। बहस सुनी गई।

अप्रार्थी संख्या 1 से 6 जवाब प्रार्थना पत्र निम्न है:– प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 व 2 स्वीकार है। परन्तु पैरा संख्या 2 में जो नीचे नोट लगा हुआ है। अस्पष्ट होने से अप्रार्थीगण को अस्वीकार है। पैरा संख्या 3 जिस तरह से तहरीर किया गया है कतई गलत है। इन्कार है अप्रार्थीगण को अस्वीकार है। वाद वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण व प्रोफोर्मा अप्रार्थीगण संख्या 9 व 10 की एक मात्र खातेदारी की आराजीयात नही है बल्कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 6 की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजीयात है। जिसमे प्रार्थीगण व प्रोफोमा अप्रार्थी संख्या 9 व 10 का 1/2 हिस्सा है तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 का भी 1/2 हिस्सा है व इसी प्रकार का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में चला आ रहा है। व इसी हिस्से अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के संयुक्त कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में चली आ रही है प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 4 कतई गलत व इन्कार है अप्रार्थीगण को अस्वीकार है प्रार्थीगण स्वयं सिद्व करे प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादग्रस्त आराजी के तथाकथित भवानी गंगाशकर पिसरान फून्दालाल व श्रीकृष्ण पुत्र भैरूशकर बाम्हण खातेदार काश्तकार व मालिक स्वामी ही नहीं थे जिससे उन्हे बैचने का कोई विधिक अधिकार नही था ६ एवं तथाकथित विक्रयपत्र दिनांक 15.01.1959 कतई अवैध गैर कानूनी फर्जी प्रभावहीन शून्य है क्योंकि जो व्यक्ति खातेदार काश्तकार ही नहीं है तो उसे बचने का विधिक अधिकार नहीं है । तथा प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 4 में यह भी स्पष्ट नहीं है कि प्रार्थीगण के पूर्वजो ने कोनसा खसरा नम्बर व कितना रकबा क्रय किया है । जिससे भी प्रार्थना पत्र का पेरा संख्या अस्वीकार है । एवं विवादग्रस्त आराजी का 1/2 हिस्सा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अजमेर स्टेट मे पूर्ण रूपेण लागू हुआ तब से ही अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 के पूर्वजों के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग मे चला आ रहा था तथा वर्तमान मे अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के कब्जे का श्त मे चला आ रहा है । प्रार्थना पत्र का पेरा संख्या 5 जिस प्रकार तहरीर किया गया है कतई गलत व इन्कार है अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 को अस्वीकार है प्रार्थीगण स्वयं सिद्व करे । एवं प्रार्थीगण के पूर्वज पिता दादा के हक मे किया गया तथाकथित विक्रयपत्र कतई गलत अवैध फर्जी प्रभावहीन शुन्य होने से तथाकथित विक्रयपत्र का इन्द्राज राजस्व रेकार्ड में नहीं हो सका एवं विवादग्रस्त आराजीयात पूर्व मे इस्तमरारदार के समय से ही व बाद मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ जब से ही अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 के पूर्वजो के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज चला आरहा था तथा वर्तमान मे भी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के नाम चला आ रहा है जो सही है । एव विवादग्रस्त आराजी वर्तमान मे भी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के संयुक्त कब्जे काश्त मे चली आ रही है । प्रार्थना पत्र का पेरा संख्या 6 जिस तरह से तहरीर किया गया है कतई गलत व इन्कार है अप्रार्थीगण को अस्वीकार है। तथा विवादग्रस्त आराजीयात अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजीयात है । जिसमे अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 का 1/2 हिस्सा है जिससे अप्रार्थी संख्या 1 से 6 को बैचने व हस्तान्तरित करने का विधिक अधिकार प्राप्त है । प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण ... हडप करने की नियत से मनगढन्त तथ्यों के आधार पर झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया ... योग्य बताया। प्रार्थना पत्र का पेरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.05.26 14:57:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

पेरा संख्या 7 जिस तरह से तहरीर किया गया है कतई गलत व इन्कार है अप्रार्थीगण को अस्वीकार है । प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 को हैरान परेशान करने की नियत से मनघडन्त तथ्यों के आधार पर झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया है जो मय खर्चे खारीज होने योग्य है खारीज फरमाया जावे । विवादग्रस्त आराजीयात पूर्व में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के पूर्वजो के संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी मे चली आ रही थी व वर्तमान मे अप्रार्थी संख्या 1 से 6 के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग मे चली आ रही है । अप्रार्थीगण का नाम बिना विधिक अधिकार के राजस्व रेकार्ड से विलोपित नहीं किया जा सकता है । प्रार्थना पत्र का पेरा संख्या 7 जिस तरह तहरीर किया गया है कतई गलत व इन्कार है अप्रार्थीगण को अस्वीकार है प्रार्थीगण स्वयं सिद्ध करें। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 के पूर्वज इस्तमरारदार के समय से ही व बाद में राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 लागू हुआ जब से ही विवादग्रस्त आराजीयात के 1/2 हिस्से के संयुक्त खातेदार काश्तकार चले आ रहे है । प्रार्थीगण तथाकथित फर्जी अवैध गैर कानूनी विक्रयपत्र के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 से 6 के हिस्से को हडपने के लिए झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारीज फरमाया जावे । प्रार्थना पत्र का पेरा संख्या 9 जिस प्रकार तहरीर किया गया है कतई गलत व इन्कार है अप्रार्थीगण को अस्वीकार है । अप्रार्थी संख्या 1 से 6 विवादग्रस्त आराजीयात के 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार होने से उनके विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। वादपत्र का पेरा संख्या 10 जिस प्रकार तहरीर किया गया है कतई गलत व इन्कार है प्रार्थीगण स्वयं सिद्ध करें। वादपत्र का पेरा संख्या 11 कानूनी है जवाब की आवश्यकता यह नहीं है। वादपत्र का पेरा संख्या 12 जिस प्रकार तहरीर किया गया है गतई गलत व इन्कार है न तो प्राईमा फेसाई केस है न ही सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे है । विवादग्रस्त आराजीयात इस्तमरारदार के समय से व बाद में राज0 काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ जब से अप्रार्थी संख्या 1 से 6 के पूर्वज घासी उर्फ घीसा व ओंकार पिसरान रामनाथ खाती निवासी केकडी के संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजीयात थी जिसमे घासी उर्फ घीसा व ओंकार पिसरान रामनाथ का 1/2 हिस्सा था व इसी प्रकार का अंकन राजस्व रेकार्ड मे दर्ज चला आ रहा है । घासी उर्फ घीसा पुत्र रामनाथ व उसकी पत्नी नाऔलाद फौत हो गये जिसका ओंकार पुत्र रामनाथ ही एकमात्र विधिक वारिस व उत्तराधिकारी था एवं ओंकार पुत्र रामनाथ की भी मृत्यु हो गई है । मृतक ओंकार के एक मात्र विधि वारिस व उत्तराधिकारी प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 है जो मृतक ओंकार की जायदाद सम्पत्ति आराजीयात पर बहैसियत वारिस काबिज चले आ रहे है । प्रार्थना पत्र का पेरा संख्या 4 मे वर्णित अनुसार भवानी शंकर, गंगाशंकर पिसरान फून्दालाल व श्रीकृष्ण पुत्र भैरूशंकर ब्राम्हण विवादग्रस्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार व स्वामी ही नहीं थे जिससे विक्रय करने का उन्हें कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था तथा उनके द्वारा प्रार्थीगण के पूर्वजो के हक मे दिनांक 15.01.1959 को किया गया तथाकथित विक्रयपत्र कतई अवैध प्रभावहीन व शुन्य है । एवं प्रार्थीगण तथाकथित फर्जी अवैध प्रभावहीन शुन्य विक्रयपत्र के आधार पर अप्रार्थीगण के 1/2 हिस्से की आराजीयात को हडप करने के लिए मनघडन्त तथ्यों के आधार पर झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया जो खारीज होने योग्य है व खारीज फरमाया जावे । विवादग्रस्त आराजीयात पूर्व में अपार्थी संख्या 1 से 6 के पूर्वज घासी उर्फ घीसा व ओंकार पुत्र रामनाथ के संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी व उपयोग उपभोग मे चली आ रही थी जिसमे अपार्थीगण संख्या 1 से 6 के का 1/2 हिस्सा था व इसी प्रकार का अंकन राजस्व रेकार्ड में शुरु से लेकर अब तक चला आ रहा है । अप्रार्थी संख्या 1 से 6 के पूर्वजो की मृत्यु के बाद उनका हिस्सा अपार्थी संख्या 1 से 6 के संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी उपयोग उपभोग मे चला आ रहा है । वादग्रस्त आराजीयात मे अप्रार्थी संख्या 1 से 6 का 1/2 हिस्सा उनके पूर्वजो के समय से ही राजस्व रेकार्ड मे दर्ज चला आ रहा है । जिसे बिना विधिक अधिकार के विलोपित नहीं किया जा सकता है । अप्रार्थी संख्या 1 से 6 विवादग्रस्त आराजीयात के सह खातेदार काश्तकार होने से उनके विरूद्ध कानूनन अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की सकती है। विवादग्रस्त आराजीयात मे अप्रार्थी संख्या 1 से 6 का संयुक्त ... जिसमे से अप्रार्थी संख्या 1,2,3,5,6

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.05.26 14:57:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

दिनांक 15.06.2021 को जरिये रजिस्टर्ड रिलिज डीड के अपना सम्पूर्ण हिस्सा अप्रार्थी संख्या 4 के हक मे रिलिज कर कब्जा सम्भला दिया जब से ही विवादग्रस्त आराजीयात का 1/2 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 4 के एकल कब्जे काश्त उपयोग उपभोग मे चला आ रहा है व वर्तमान में भी अप्रार्थी संख्या 4 के संयुक्त कब्जा काश्त मे चला आ रहा है । प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने व खर्चे से जेरबार करने के लिए मनघडन्त तथ्यों के आधार पर झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने से खारीज फरमाये जाने का जवाब वाद पत्र मे दिया।

अप्रार्थीगण संख्या 9 व 10 की ओर से जवाब:– प्रफोर्मा अप्रार्थीगण संख्या 9 व 10 की ओर से जवाब पेश किया प्रार्थनापत्र पैरा संख्या 1 मे वर्णित कथन स्वीकार किया। प्रार्थनापत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित आराजीयात का कस्बा केकडी में स्थित होना स्वीकार है। जोकि प्रार्थीगण एंव प्रफोर्मा अप्रार्थीगण संख्या 9 व 10 की एकमात्र खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजीयात है। जिसमे अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा नही है। न ही वास्ता एंव सरोकार है। प्रार्थनापत्र के पैरा संख्या 3,4,5 कथन स्वीकार किया। अप्रार्थीगण द्वारा केवल मात्र राजस्व रिकार्ड मे अवैध व गैरकानूनी तरीके से गलत इन्द्राज हो जाने के कारण प्रार्थीगण को उक्त वाद वर्णित आराजीयात से जबरन बैदखल करना चाहते है। जो कि कतई गलत [illegible]ी के विपरित होने से अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है। प्रार्थनापत्र के पैरा संख्या 6 में वर्णित कथन स्वीकार है। अप्रार्थीगण उक्त वाद वर्णित आराजीयात को बिना किसी हक व अधिकार के ही उक्त वाद वर्णित आराजीयात को अन्यत्र हस्तान्तरित करने पर आमादा हो रहे है जिन्हे पाबंद किया जाना न्यायोचित है प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 7 में वर्णित कथन स्वीकार है। उक्त वाद वर्णित आराजीयात बाबत अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 का नाम विलोपित करते हुए प्रार्थीगण का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर जमाबंदी में इन्द्राज दुरूस्त किया जाकर प्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना प्रार्थनीय है प्रार्थनापत्र के पैरा संख्या 8 में वर्णित कथन स्वीकार है। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना न्योचित एंव आवश्यक है। अन्यथा बहुवाद कार्यवाहीया को सामना करना पडेगा। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार करने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया पक्षकारान के लायक अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। उक्त आराजीयात पर प्रार्थीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजीयात है जिसमे प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के संयुक्त कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में चली आ रही है प्रार्थी के पक्ष मे प्रथम दृष्टिया प्रकरण और सुविधा का संन्तुलन भी नहीं पाया गया अतः प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार नहीं है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। यह प्रार्थना पत्र हक अधिकार का अंतिम निधारण नही करता है हक अधिकार का प्रश्न वाद शहादत मूल वाद मे तय होगा खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकडी (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.05.26 14:57:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner